

सं0सं0-7/कुष्ठ-4-01/2017-149(7)0

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी।
(सूची संलग्न)


पटना, दिनांक : 05-03-18

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- एलोपैथी-200- अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0002-कुष्ठ निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड- 20-2210012000002 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते तथा अन्य मदों में कुल-₹20,57,579/- (बीस लाख संतावन हजार पाँच सौ उन्नासी रु.) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-22(7)ब दिनांक-15.05.17, 28(7)ब दिनांक-23.06.17, 45(7)ब दिनांक-17.08.17, 59(7)ब दिनांक-11.09.17, 74(7)ब दिनांक-25.09.17, 82(7)ब दिनांक-04.10.17, 86(7)ब दिनांक-13.10.17, 112(7)ब दिनांक-12.12.17 एवं 139(7)ब दिनांक-08.02.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते तथा अन्य मदों में मांग पत्र के आलोक में कुल-₹20,57,579/- (बीस लाख संतावन हजार पाँच सौ उन्नासी रु.) मात्र का आवंटन दी जाती है।

- सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।
- आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0002-कुष्ठ निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड-20-2210012000002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से तथा पुनर्विनियोग (स्वीकृत्यादेश संख्या-126(7) दिनांक-9.11.17 तथा 208(7) दिनांक-21.02.18) से प्राप्त राशि से की जायेगी।
- राशि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारियों / कर्मचारियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र पर भी अंकित करेंगे।
- क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक- 96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.3.2001, 241(9) दिनांक- 21.5.2002, 379(9) दिनांक- 16.8.2002 एवं 73(9) दिनांक- 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा।
- आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने तथा उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।
- कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।




1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

9. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।
11. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,




(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव
खिनोद

ज्ञापांक : 149(7)A

पटना, दिनांक : 05-03-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/सम्बंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सम्बंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित उपकोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक/सम्बंधित सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई0टी0 मैनेजर, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव
खिनोद

विवरण-1

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में बिहार स्थित कुष्ठ निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड 20-2210012000002 के उपशीर्ष का अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	कुल	अभ्युक्ति
		(01-01)	(01-03)	(01-04)	(01-06)	(01-07)		(06-01)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अपर मु0चि0पदा0, पटना	840000	438900	355000	68650	55930	1758480	0	1758480	22/24.1.18
2	अपर मु0चि0पदा0, भोजपुर	0	0	0	0	0	0	299099	299099	75/23.9.17
	कुल	840000	438900	355000	68650	55930	1758480	299099	2057579	

(बीस लाख संतावन हजार पाँच सौ उन्नासी) रु. मात्र

149(4)9
05-03-18

रजिस्ट्रार

573/18

सरकार के विशेष सचिव
बिनोद

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0002-01-01)	192380000	191540000	840000	192380000	0
2	जीवन यापन भत्ता (0002-01-03)	252020000	251581100	438900	252020000	0
3	मकान किराया भत्ता (0002-01-04)	49439000	49084000	355000	49439000	0
4	परिवहन भत्ता (0002-01-05)	56000	56000	0	56000	0
5	चिकित्सा भत्ता (0002-01-06)	2800000	2731350	68650	2800000	0
6	अन्य भत्ता (0002-01-07)	3305000	3249070	55930	3305000	0
	योग 20-2210.01.200.0002.01 वेतन	500000000	498241520	1758480	500000000	0
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0002-06-01)	300000	0	299099	299099	901
8	यात्रा व्यय (0002-11-01)	200000	200000	0	200000	0
9	कार्यालय व्यय (0002-13-01)	500000	500000	0	500000	0
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0002-13-02)	200000	160000	0	160000	40000
11	दूरभाष (0002-13-03)	200000	192500	0	192500	7500
12	विद्युत प्रभार (0002-13-04)	380000	380000	0	380000	0
13	विधि प्रभार (0002-13-05)	200000	200000	0	200000	0
14	वर्दी / पोषाक (0002-13-06)	50000	50000	0	50000	0
15	किराया महसूल एवं कर (0002-14-01)	300000	125492	0	125492	174508
16	प्रशिक्षण व्यय (0002-20-03)	1910000	37500	0	37500	1872500
17	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0002-21-01)	100000	100000	0	100000	0
18	दवा भंडार (0002-21-02)	500000	240000	0	240000	260000
19	आहार / पथ्य (0002-21-03)	1500000	1500000	0	1500000	0
20	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0002-27-02)	1000	0	0	0	1000
21	सविदा सेवारत (0002-28-02)	791000	789328	0	789328	1672
	कुल योग:-	507132000	502716340	2057579	504773919	2358081

149(7)A

05-03-18

सरकार के विशेष सचिव

अनाई

5/3/18